

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 23.01.2023

सरिया चुराने वाला मजदूर व खरीदने वाला कबाडी, चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में किये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मनोज कुमार पाण्डेय की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2023 धारा 379 भादवि से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. किताबुद्दीन पुत्र सुबेदार निवासी जैनपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर 2. रामसजन पुत्र रामप्यारे निवासी जंगल माघी थाना गुलरिहा गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना क्रम- ग्राम सभा पिपरी में निर्माणाधीन आयूष विश्वविद्यालय कैम्पस से कटिंग सरिया लोहे की स्कार्ट फोल्डिंग व एलबो कास्ट आयरन अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 53/2023 धारा 379 भादवि बनाम पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता -

1. किताबुद्दीन पुत्र सुबेदार निवासी जैनपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर
2. रामसजन पुत्र रामप्यारे निवासी जंगल माघी थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 53/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

3 कुन्टल 85 किग्रा लोहे का छड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. ज्योति नारायन तिवारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 महेश नारायण गौतम थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का0 विश्वजीत सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 सुदर्शन राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
6. हे0का0 अमरनाथ यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
7. का0 प्रदीप गुप्ता थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर